



2026:AHC:163005

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7879**

**वर्ष 2026**

शमशाद उर्फ मोहम्मद शमशाद

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,**

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 801/2025 (पुलिस थाना - सिकंदरा, जिला आगरा) में बीएनएस की धाराओं 318(4), 352, 351(2) के तहत अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 02.02.2025 और 21.05.2025 के बीच हुई बताई जाती है, जबकि प्राथमिकी सात महीने बाद 15.12.2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई सही वजह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं बताई है। 15.12.2025 की प्राथमिकी में आवेदक और दो अन्य सह-आरोपियों का नाम शामिल था। प्राथमिकी में आरोप है कि 02.02.2025 से 21.05.2025 के बीच, कुछ नकद रकम और 1 लाख रुपये सह-आरोपी रेहान उद्दीन के बैंक खाते में इस भरोसे पर भेजे गए थे कि आवेदक शिकायतकर्ता के पिता के घर का नामांतरण करवा देगा। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के बैंक खाते में ऐसी कोई रकम नहीं भेजी की गई थी। आरोपों के अनुसार, उक्त रकम सह-आरोपी रेहान उद्दीन के बैंक खाते में भेजी गई थी। आवेदक, सह-आरोपी रेहान उद्दीन का दोस्त होने के कारण, इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी रेहान उद्दीन की अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस की धारा 482 के तहत संख्या 6842/2026 मामले में 14.07.2026 के आदेश के ज़रिए स्वीकार कर लिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, एजीए ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है। कहा गया है कि इस मामले में आवेदक के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 84 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। इसलिए, यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र विचारणीय नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, गवाहों को डराने-धमकाने सहित, की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि, की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे



पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध गंभीर हो, या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या आरोपी के भागने की आशंका हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी विधिक तौर पर की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति और उसके इस्तेमाल के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में जांच में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8. इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी रेहान उद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने स्वीकार कर लिया है, हालांकि उसके खिलाफ भी धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। आवेदक का मामला भी सह-आरोपी रेहान उद्दीन के मामले जैसा ही है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

9. **आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 उच्चतम 1059** के मामले में यह माना गया है कि धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

10. अग्रिम जमानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए - और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना - यह पाया गया है कि अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

11. इसलिए, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार किया जाता है:-**

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!*



(i) यदि उक्त मामले में शामिल आवेदक - **शमशाद उर्फ मोहम्मद शमशाद** - को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण के पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें देनी होंगी।

(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेगा और जांच के मकसद से जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए उचित प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

4 अगस्त, 2026

राधिका